

फर्द अहकाम

सुनोषकवर्द बनाम डीक्षकवर्द वॉरंट

जयपुर जिला अदालत  
जयपुर (जयपुर)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विराम चिह्न
28/6/18	<p>आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान 2018 राजस्व कैम्प कोर्ट ..... में पेश हुई, पक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल हो चुके है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण निधारित अवधि में किया जाना होता है। उनवानी प्रकरण में अदालत के दृष्टिकोण में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कारतकारी अधिनियम को आशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 500/1, 514, 592, 590, 591, 596, 586/12, 586/10, 537, 403, 586/9, 454, 456, 587, 589, 586/8, 459, 535, 177, 211, 500/2, 421, 203, 503, 504, तहसील ..... तहसील ..... की यथास्थिति बनाये रखें। एक जिला जयपुर की मौका ..... की यथास्थिति बनाये रखें। एक दुसरे के कब्जे काशत में दखलान्दाजी नही करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहें।</p>	

पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

जयपुर जिला अदालत  
जयपुर